राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 49 / 17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.10.2017 निर्णय दिनांक : 15.12.2017

राजस्थान सरकार बनाम इकबाल पुत्र नसीर जाति मीरासी नि0 कुचामन सिटी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इकबाल पुत्र नसीर जाति मीरासी निवासी कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि पर सम्वत 2074 में तम्बू लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल का पुत्र महबूब ने प्राप्त किया। गैर सायल अनुपस्थित रहा।

गैर सायल आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहा, जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायल का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायल ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा कस्बा कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप

लगातार

तहसीलदार
कुचामन सिटी (नागौर)

गैर सायल पर लगाान 0.05 का पच्चास गुणा से राशि 03/— अक्षरे तीन रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर —राज0

माँग कायमी ... -4
11
2017-18
3

तहसील कुचामन सिटी